Rule 92 : Order sanctioning refund

(1) Where, upon examination of the application, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM GST RFD-06**, sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount, if any, refunded to him on a provisional basis under sub-section (6) of section 54, amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable:

[1]**[****]**

[2]**[(1A)** Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM RFD-06** sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue **FORM GST PMT-03** re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.**]**

(2) Where the proper officer or the Commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of sub-section (10) or, as the case may be, sub-section (11) of section 54, he shall pass an order in [3]**[**Part A**]** of **FORM GST RFD-07** informing him the reasons for withholding of such refund.

[4]**[Provided that** where the proper officer or the Commissioner is satisfied that the refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order

---

1 Proviso omitted by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021. Earlier to omission it read as under:
"**Provided** that in cases where the amount of refund is completely adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in Part A of **FORM GST RFD-07**."

2 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

3 Substituted for "Part B" by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

4 Proviso inserted by N. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

for release of withheld refund in Part B of **FORM GST RFD- 07.]**

(3) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that the whole or any part of the amount claimed as refund is not admissible or is not payable to the applicant, he shall issue a notice in **FORM GST RFD-08** to the applicant, requiring him to furnish a reply in **FORM GST RFD-09** within a period of fifteen days of the receipt of such notice and after considering the reply, make an order in **FORM GST RFD-06**, sanctioning the amount of refund in whole or part, or rejecting the said refund claim and the said order shall be made available to the applicant electronically and the provision of sub-rule (1) shall, *mutatis mutandis*, apply to the extent refund is allowed:

Provided that no application for refund shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(4) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) [5]**[**or sub-rule (1A)**]** or sub-rule (2) is payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue a [6]**[**payment order**]** in **FORM GST RFD-05**, for the amount of refund and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund [7]**[**on the basis of a consolidated payment advice**]**.

[8]**[Provided that** the order issued in **FORM GST RFD-06** shall not be required to be revalidated by the proper officer:

Provided further that the [9]**[**payment order**]** in **FORM GST RFD-05** shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year in which the said [10]**[**payment order**]** was issued.**]**

---

5 Inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

6 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

7 Inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

8 Provisos inserted by N. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

9 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

10 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

[11]**[(4A)** The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (4).**]**

(5) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) [12]**[**or sub-rule (1A)**]** or sub-rule (2) is not payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue [13]**[**a payment order**]** in **FORM GST RFD-05**, for the amount of refund to be credited to the Consumer Welfare Fund.

---

11 Sub-rule (4A) inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

12 Inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

13 Substituted for "an advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

नियम 92 : प्रतिदाय मंजूरी आदेश

(1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदन को संदेय है; तो वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है कि मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अनंतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरूद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

[1]**[......]**

[2]**[(1क)** जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नगदी में संदत्त किये जाने के लिये वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए **प्ररूप आरएफडी–06** में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरूद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरूद्ध नकदी में विकसित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–03** जारी करेगा।**]**

(2) जहां उचित अधिकारी या आयुक्त की राय है रिफंड की राशि उपधारा 10 या, जैसा भी मामला हो, उपधारा 11 के तहत् रोकी जा सकती है धारा 54, वह **फार्म जीएसटी आरएफडी–07** के 386 [3]**[भाग ए]** में एक आदेश पारित करेगा जिसमें उसे इस तरह के रिफंड को रोकने के कारण बताये जाएंगें।

[4]**[परन्तु** जहां समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–07** के **भाग–ख** में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा।**]**

(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–08** में एक नोटिस

---

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** यह कि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरूद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–07** के भाग क में जारी किया जाएगा।"

2 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

3 अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा शब्द ''भाग ख'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

4 अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–09** में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप–नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

(4) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप–नियम (1) [5]**[**या उप–नियम (1क)**]** या उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उपधारा (8) के अधीन देय है, [6]**[**वहां वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में [7]**[**संदाय आदेश**]** जारी करेगा तथा उसे समेकित [8]**[**संदाय आदेश**]** के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रूप में जमा करेगा**]**

[9]**[परन्तु** उचित अधिकारी द्वारा, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त [10]**[**संदाय आदेश**]** जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में [11]**[**संदाय**]** को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा नहीं होगी।**]**

[12]**[(4क)** केन्द्रीय सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी।

---

5 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

6 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।
"जो वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में आदेश करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिये यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यय किया जायेगा।"

7 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

8 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

9 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01. 02.2019)।

10 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

11 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

12 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।

(5) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप–नियम (1) [13]**[**या उप–नियम (1क)**]** या उपनियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उपधारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में आदेश करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की [14]**[**संदाय आदेश**]** जारी करेगा।

---

13 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

14 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा शब्द ''सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से इसे प्रभावशील किया गया।